

फर्द अहकाम
(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

सांवरदान

बनाम

किस्म प्रकरण : राजस्व वाद

गुमानकवर वगैरह

मुकदमा नं. 32/2015

तारिख हुवम	हुवम या कार्यवाही इनिशिलस जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुवम की तामील में जारी हुये।
10.03.2015	<p>वाद वादीगण ने जरिये अभिभाषक के अधिन धारा 188, 92क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिवादीगण के विरुद्ध पेश किया हैं। वाद वादी का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणो जरिये सम्मन तलव किया जावे। पत्रावली दिनांक 09.04.2015 को पेश हो।</p> <p>4</p>	
9/4/15	<p>वकील वादी उप प्रतिवादी सप। गुमान कवरे की ओर व वकील एस. रंजन कालवी ने वकालतनामा पेश कर जवाब-दावा पेश किया। नकल वकील वादी को दिलाई गई। प्रतिवादी त. 2 स्वयं हाजिर आया जो जवाब देना नहीं चाहता है। आदेशिका पर एतनासा करवाये गये। प्रतिवादी त. 3 ख. 4 के सम्मन बाद तामील प्राप्त हुये जो वाग्जुद सूचना गैर हाजिर रहे है। उनके विरुद्ध एड-यसिप कार्रवाई रूपल में लानी जाती है। पत्रावली वापसी तनकी हेतु दिनांक 29/4/15 को पेश हो।</p> <p>4</p>	<p>मौदूफात जवाबदेना नहीं चाहता</p>

6.4.19

पोस्टाधिकार/पत्रकारों की मितिंग में/प्रमाण
अवकाश पर उसे हुए, इसलिए प्रकरण
उनके द्वारा दिनांक 4.5.19...को
प्रस्तुत करें।

मां

20.6.18

पत्रावली न्याय काय के डांर शिबिर में
प्रत्य सेवा केन्द्र शिबिर में पेशद्वरी
पत्रावली का अवलोकन किया गया।
वाड में मंडित आराजी स्वसरा नम्बर
73/01 शकवा 19 कीधा 09 किल्ला मौजा
शेवाड जो विरातत से वाडी व उवि-
वाडी सं. 01 व 02 को प्राप्त हुए उवि-
वाडी सं. 01 के डांर वाडी व उतिवाडी
सं. 02 के एक में विवाडित शक्ति का एक
त्याग कर दिया। उस के पश्चात विवाडित
शक्ति को वाडी व उतिवाडी सं. 02 ने उतिवाडी
सं. 01 गुमानकैवर के कैचान कर दिया।
वाडी के डांर विवाडित कूमि का कैचान
उतिवाडी सं. 01 को कर दिया जाने के कारण
वाडी का वाड चलने योग्य भी नहीं है। जिस
के कारण वाडी वारी विवाडित शक्ति से कैचान
से रोकने के लिए भस्मार निवेधाना प्राप्त
करने का हकदार नहीं है वकील वाडी ने भठ
भी जाहिर किया कि वाड को भागे चलाना
नहीं चाहते है।

अतः वाडी का वाड उपरोक्त स्थिति में
भनुशाद चलने योग्य नहीं होने के कारण वाडी
का वाड अस्वीकार कर स्वारीज किया जाता है।
पत्रावली केसस शुमार होकर नम्बर से नम
होकर इफतार हाकिल हो।

मा

1.

2.